झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास

मुख्य (वित्त) मंत्री

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 22 जनवरी, 2019

झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास

मुख्य (वित्त) मंत्री

का

बजट भाषण

राँची, दिनांक 22 जनवरी, 2019

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 की आय–व्ययक विवरणी इस गरिमामय सदन के पटल पर रखने हेतु खड़ा हुआ हूँ।

1. विश्व राजनीति में सत्य और अहिंसा के महान प्रयोग धर्मी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्म की 150वीं वर्षगाँठ के काल खण्ड में वित्तीय वर्ष 2019–20 का बजट उपस्थापित करने का जो मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए उस महानुभाव को शत्–शत् नमन करता हूँ।

2. **अध्यक्ष महोदय,** कल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन है। आजादी की लड़ाई में जयहिन्द का नारा देने वाले इस महानायक ने आजाद भारत के आर्थिक विकास की अग्रिम रूप–रेखा तैयार करने की कल्पना की थी। मैं उन्हें भी शत्–शत् नमन करता हूँ।

3. भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष एवं भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में **'झारखण्ड'** राज्य का जन्म हुआ, के चरणों में मेरा शत्–शत् नमन। अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए मुझे उनकी निम्न पंक्तियाँ सदैव प्रेरणा देती हैः–

''टूटे हुए तारों से, फूटे बासंती स्वर
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर
झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात
प्राची में अरूणिमा की रेत देख पाता हूँ
मैं गीत नया गाता हूँ''

4. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखण्ड राज्य की खुशहाली के जो सपने देखे थे, उन्हें साकार करने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन तथा दिशा–निर्देशन में हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

5. मैं आज भगवान बिरसा मुण्डा, सिद्धो–कान्हू, चांद, भैरव, वीर बुधु भगत, नीलाम्बर–पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पाण्डेय गणपत राय, तिलका मांझी और शेख भिखारी जैसे अमर शहीदों, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति के साथ–साथ अपनी सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए हँसते–हँसते अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी, को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।

6. **अध्यक्ष महोदय,** सदियों की दासता से आजादी पाने के लिए गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकना निःसंदेह एक कठिन कार्य है, लेकिन प्राप्त हुई आजादी की रक्षा करना उससे भी ज्यादा कठिन कार्य है। मुझे गर्व है झारखण्ड के उन वीर सपूतों पर, जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर न केवल इस धरा को धन्य किया, वरन् देश की आजादी की रक्षा के लिए सरहदों पर दुश्मनों से लड़ते–लड़ते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। परमवीर अलबर्ट एक्का के प्रति भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरा नमन उन सारे वीरों के प्रति भी है, जिन्होंने अलबर्ट एक्का जैसे वीरों की विरासत को थामकर आजादी की मशाल को बाद के दिनों में थामा और देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हो गए।

''है नमन उनको कि, जो यशकाय को अमरत्व देकर,
इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं,
है नमन उनको कि, जिनके सामने बौना हिमालय,
जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं।''

7. **अध्यक्ष महोदय,** इस सरकार के कार्यकाल का पाँचवाँ बजट पेश करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि **''सभा में सभ्यता और सत्ता में संयम''** के सिद्धान्त का प्रतिपादन हमारे ही देश में हुआ है। विधायी संस्थायें राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों के स्त्रोत के रूप में काम करती हैं। आज विधायी संस्थाओं में हम जो कुछ करते है, उन सबकी नकल कस्बों–गाँवों, नगरों गलियों और चौबारों में होती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें जनता की तर्क संगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। श्रद्धेय वाजपेयी जी की इस उक्ति को यहाँ दुहराना चाहता हूँ कि **''इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है– आत्म अनुशासन की''।** बाजपेयी जी ने संसद की पचासवीं वर्षगाँठ के अवसर पर ये शब्द तत्कालीन प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए कहा था कि आप लोकतंत्र की व्याख्या सैकड़ों तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक ही व्याख्या है आत्मानुशासन। मैं समझता हूँ कि हम सभी इस कसौटी पर खरे उतरेंगे।

8. **अध्यक्ष महोदय,** वित्त मंत्री की हैसियत से मैंने 16 जून, 2005 को पहला बजट पेश किया था। इस प्रकार यह आठवाँ अवसर है, जब मैं सरकार का बजट पेश कर रहा हूँ। इस सरकार में मैं पाँचवीं बार बजट पेश कर रहा हूँ। अबतक मेरी हर–संभव कोशिश रही है कि जनता ने जो थाती हमें सौंपी है, उनके निर्वहन का प्राण–प्रण से प्रयास मैं करूँ। मेरे मन में हर समय इस राज्य के न्यूनतम पायदान पर खड़ा व्यक्ति रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैंने खुद को जनता के लिए 'नीति–निर्माता' न समझ कर जनता को ही अपना 'नियति–निर्माता' समझा है। जन–जन के कल्याणार्थ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मेरी धारणा यह रही हैः–

''हम सागर यदि न उलीच सकें
आँखों की दो बूँदें हर लें

हम पर्वत उठा सकें न अगर

बोझे दो सिर के कम कर दें।

औरों के हित में ही अपना

अर्पित होवे मन–वचन–काय

बहुजन हिताय–बहुजन सुखाय।''

9. मेरा मानना है कि यह भावना न केवल मेरी और मेरे सरकार की है, वरन् इस पवित्र सदन, जो झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता के विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च निकाय है, के प्रत्येक सदस्य में अभिभूत है। पिछले चार सालों में हमने जो हासिल किया, वह इस सदन में बैठे प्रत्येक सदस्य के सहयोग के बिना संभव नहीं था। मैं सदन के प्रत्येक सदस्य को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।

10. **अध्यक्ष महोदय,** गत चार सालों में हमारी सरकार ने विकास की एक नई परिभाषा लिखी है। चार वर्ष पहले जब मैं इसी सदन में बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ था, तो मैंने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इसी सरकार के कार्यकाल में हर घर में बिजली पहुँच जायेगी, हर घर में शौचालय बन जायेगा, प्रत्येक स्कूल में बेंच–डेस्क तथा बिजली की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। परन्तु यह सब हुआ। यह हमारी सरकार के अथक प्रयासों, कठिन परिश्रम तथा इस सदन के सहयोग से संभव हो सका है। यहाँ मैं सोहनलाल द्विवेदी की दो पंक्तियाँ को दोहराना चाहूँगा :–

''लहरो से डरकर नौका पार नहीं होती

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।''

11. **अध्यक्ष महोदय,** मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि बजट एवं योजना निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के काफी पूर्व पूर्ण हो जाये, ताकि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ

होने के साथ ही धरातल पर इसे उतारा जा सके। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 का बजट 23 जनवरी को पेश किया गया था। उसी परम्परा के अनुरूप इस वर्ष आज 22 जनवरी को मैं सदन के सामने आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश कर रहा हूँ।

12. गत चार वर्षों से मेरा यह प्रयास रहा है कि बजट भाषण के दौरान की गई घोषणाओं का वास्तव में कार्यान्वयन हो। इसके लिए हमने घोषणाओं से संबंधित ATR सदन में प्रस्तुत करने की परम्परा की शुरूआत की। इसी क्रम में गत बजट भाषण में की गई घोषणाओं पर अद्यतन कृत कार्रवाई प्रतिवेदन सदन के पटल पर अलग से रखा जा रहा है। गत बजट भाषण में कुल 103 घोषणायें की गई थी, जिनमें से मात्र एक को छोड़ कर सभी पर कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

13. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 85,429 करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 65,803 करोड़ रुपये एवं पूँजीगत व्यय के लिए 19,626 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

14. बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाय, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपये उपबंधित किये गये हैं।

15. बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 20,850 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 10,674.20 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता से 13,833.80 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 29,000 करोड़ रुपये, लोक

ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपये तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 71 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

16. **अध्यक्ष महोदय,** अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रचलित मूल्य के आधार पर झारखण्ड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 3,16,731 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। यह वर्ष 2018–19 के 2,86,598 करोड़ रुपये की तुलना में 10.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 2,36,866 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 2,21587 करोड़ रुपये की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है।

17. वित्तीय वर्ष 2018–19 में 8.73 प्रतिशत के वृद्धि के साथ वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 83,513 रुपये होने का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष 2018–19 में 76,806 रुपये एवं 2017–18 में 70,728 रुपये था।

18. आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजकोषीय घाटा 7,155.63 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.26 प्रतिशत है।

19. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की लगभग 76 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है, जो कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर आर्थिक रूप से आश्रित है। राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि, पशुपालन, सहकारिता, गव्य, मत्स्य, लाह, तसर, मुर्गी पालन, अण्डा उत्पादन, हस्तशिल्प, ऊर्जा एवं सिंचाई प्रक्षेत्रों को समेकित रूप से Converge करते हुए पहली बार वर्ष 2016–17 में **कृषि बजट** की परिकल्पना की गई थी। आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रस्तावित कृषि बजट 7,231.40 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.51 प्रतिशत

अधिक है। कृषि बजट सदन में संदर्भित मांग पर चर्चा के दिन प्रस्तुत किया जायेगा।

20. राज्य की आधी आबादी महिलाओं की है। झारखण्ड की महिलाओं की कार्य क्षमता पर हमें नाज है। राज्य की महिलाओं के समग्र विकास हेतु सखी मण्डलों को सशक्त और जीवन्त संस्था के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। इन सखी मण्डलों के माध्यम से उत्पादित की जा रही सामग्रियों को स्केल–अप करके उनका विपणन स्थानीय बाजार तथा राज्य के स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों एवं बाजारों में सुनिश्चित किया जायेगा। इससे इन सखी मण्डल के सदस्यों के आय में वृद्धि हो सकेगी। महिलाओं के कल्याणार्थ राज्य में महिला आधारित कार्यक्रमों को समेकित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में **Gender Budget** तैयार किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए Gender Budget के रूप में 8,898.47 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 8.59 प्रतिशत अधिक है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मांगों पर चर्चा के दिन इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

21. झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या काफी है। राज्य सरकार इनके कल्याण तथा विकास हेतु कृत संकल्प है। हमने जनजातीय विकास क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में **अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट** का कुल आकार 24,410.06 करोड़ रुपये था। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। इस तरह इन वर्गों के लिए किए जा रहे विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान की जा सकेगी।

22. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के बच्चे ही राज्य के भविष्य निर्माता हैं। राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देना हम सब की जवाबदेही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बच्चों के विकास से संबंधित प्रावधानों को समेकित करते हुए हमने अलग **चाईल्ड बजट** तैयार किया है, ताकि इनके विकास पर समेकित रूप से फोकस किया जा सके। वर्ष 2019–20 में चाईल्ड बजट का कुल आकार 6,182.44 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है, जो स्कीमों के लिए निर्धारित कुल बजट का 11.82 प्रतिशत है। संदर्भित मांग पर चर्चा के दिन सदन में चाईल्ड बजट अलग से पेश किया जायेगा।

23. **अध्यक्ष महोदय,** सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे ले जाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किये गये महत्वपूर्ण प्रस्तावों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करता हूँ :–

कृषि प्रक्षेत्र

24. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड की 76 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। इनमें से 28 लाख किसान पूर्ण रूपेण अपनी आजीविका के लिए कृषि प्रक्षेत्र पर निर्भर हैं। आज किसान जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी चर्चा पूरे भारत वर्ष में हो रही है। बढ़ते कर्ज का बोझ किसानों की आज सबसे बड़ी समस्या है। किसानों को राहत देने के लिए हमने एक अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना** नामक एक नई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि दी जायेगी। मुझे आशा है कि किसानों में खुशहाली लाने की दिशा में यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी।

25. कृषि से संबंधित अद्यतन तकनीक तथा अनियमित मौसम की सही जानकारी देने के लिए e-NAM पर पंजीकृत राज्य के किसानों को **स्मार्ट फोन** उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे हमारे किसान सम्पूर्ण भारत के बाजारों में प्रचलित मूल्यों की जानकारी प्राप्त कर अपने कृषि उपज की बिक्री हेतु निर्णय ले सकेंगे। कृषकों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। मौसम की अग्रिम जानकारी प्राप्त कर वे फसलों को क्षति से बचाने की कार्रवाई कर सकेंगे।

26. राज्य सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है कि निर्धारित Minimum Support Price के अतिरिक्त धान अधिप्राप्ति के प्रत्येक क्विंटल पर किसानों को 150 रुपये का Bonus भुगतान किया जाय। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी जारी रखा जायेगा।

27. राज्य में 29–30 नवम्बर को **Global Agriculture & Food Summit** का आयोजन खेलगाँव, राँची में किया गया। इस समिट में 7 देशों एवं 8 राज्यों के प्रतिनिधियों तथा राज्य के 10 हजार किसानों द्वारा भाग लिया गया। दो दिवसीय इस समिट में जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मत्स्य एवं डेयरी, कृषि औद्योगिकीकरण इत्यादि 8 तकनीकी सेमिनार हुए। प्रदर्शनी में कृषि तकनीकी के नवीनतम मॉडल एवं मशीनरी प्रदर्शित की गई, जिसमें नई बेहतर तकनीक से राज्य के किसान रू–ब–रू हो सकें। समापन समारोह में बाबा रामदेव द्वारा मधु प्रसंस्करण का कार्य राज्य के साथ मिलकर करने की घोषणा की गई।

28. झारखण्ड राज्य को इस वर्ष चावल की श्रेणी में **कृषि कर्मण पुरस्कार** से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा चावल उत्पादन एवं उत्पादकता में अग्रणी कार्य करने के लिए दिया गया है। पुरस्कार में 2 करोड़ रुपये की नगद

राशि शामिल है। वर्ष 2011–12 में हमारे राज्य में चावल उत्पादन 14 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 17 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

29. झारखण्ड राज्य में पिछले कई वर्षों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर **सुजलाम सुफलाम योजना** नामक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सूखाग्रस्त जिले में नाले, झील, डैम एवं तालाबों के desiltation का कार्य किया जायेगा, ताकि इन ढाँचों की Water Capacity बढ़ सके तथा कृषि कार्य में मदद मिल सके। इस योजना के लिए **भारतीय जैन संगठन** नामक संस्था के साथ एक MoU हस्ताक्षरित किया गया है।

30. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में अब तक 76 प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की बेहतर तकनीक सीखने के लिए **इजराइल** भेजा गया है। किसानों ने इजराइल में Drip Irrigation, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन की बेहतर तकनीक सीखी। इन किसानों द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में अब अपने–अपने जिले में कई किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 14 जनवरी, 2019 को इजराइल भेजा गया दल पूर्णरूपेण महिला दल था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी तर्ज पर अगले वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी किसानों को इजराइल एवं अन्य देशों में भेजा जायेगा।

31. राज्य में 1,200 किसानों को मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये की राशि से **मीठी क्रान्ति** नामक नई योजना की शुरूआत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 100 करोड़ रुपये की राशि से मीठी क्रान्ति का लाभ 12,000 किसानों को पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है।

32. कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के एक–एक **शीतगृह का निर्माण** कराने का निर्णय लिया गया है। अबतक 14 जिलों में शीतगृह का निर्माण चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में **खूँटी, सरायकेला–खरसावां, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, दुमका, पाकुड़ एवं जामताड़ा** जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के शीतगृह का निर्माण कराया जायेगा।

33. जिन प्रखण्डों में नाशपाती, टमाटर, फूल, सब्जी एवं अन्य फलों की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, उन प्रखण्डों में 30–30 मीट्रिक टन क्षमता के एक–एक **कोल्ड रूम** का निर्माण कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 46 प्रखण्ड में कोल्ड रूम का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 100 प्रखण्डों में कोल्ड रूम का निर्माण करने का लक्ष्य है।

पशुपालन एवं डेयरी

34. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2019–20 में ब्रायलर कुक्कुट पालन, सूकर पालन, बकरी पालन, बैक्यार्ड कुक्कुट पालन योजनाओं के अन्तर्गत मांस तथा अण्डा के उत्पादन में वृद्धि करने तथा ग्रामीण पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन लाभुक जनित योजनाओं का कार्यान्वयन **झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी** एवं **प्रगतिशील किसानों** के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।

35. राज्य में 641 टाना भगत के परिवारों को शत–प्रतिशत अनुदान पर प्रति परिवार 4 गाय उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। वर्ष 2019–20 में इसे जारी रखा जायेगा।

36. राँची मुख्यालय में एक मिल्क प्रोडक्ट प्लान्ट तथा **पलामू, देवघर, साहेबगंज, जमशेदपुर** एवं **गिरिडीह** जिला में 50 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है।

37. प्रगतिशील डेयरी कृषकों एवं महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 50 गाय की कामधेनु डेयरी फार्मिंग की योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है।

38. राज्य के दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता वृद्धि हेतु पंचायत स्तर पर कुल 3,000 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना वर्ष 2019–20 में करने का लक्ष्य तय किया गया है।

39. राज्य में गौशालों के माध्यम से प्रगतिशील पशुपालक द्वारा **कैटल हॉस्टल** की स्थापना का प्रस्ताव है।

मत्स्य पालन

40. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में 4 वर्ष पूर्व मछली उत्पादन एक लाख मीट्रिक टन से भी कम था। अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बंगाल एवं आंध्रप्रदेश से मछली का आयात किया जाता था। उत्पादन को लगभग दोगुना करते हुए इस वर्ष राज्य में 1.90 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। राज्य में मछली की कुल घरेलू मांग 1.40 लाख मीट्रिक टन है। इसलिए इस वर्ष हम लगभग 50 हजार मीट्रिक टन मछली का निर्यात करने की स्थिति में आ गये हैं।

41. राज्य के मछली पालकों को विभागीय मत्स्य आहार के क्रय पर 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराने की योजना को वर्ष 2019–20 में जारी रखा जायेगा।

42. कुल 8,066 मत्स्य मित्रों एवं मत्स्य बीज उत्पादकों के माध्यम से अब तक राज्य में 850 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ है। इस वर्ष 59 **पोर्टेबल मत्स्य बीज हैचरी** का अधिष्ठापन कर राज्य में मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर होने हेतु योजना स्वीकृत की गई है तथा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 80 हैचरियों का निर्माण कराया जायेगा, ताकि प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य स्पॉन उपलब्ध हो सके एवं मत्स्य बीज के लिए अन्य राज्यों पर हमारी निर्भरता समाप्त हो सके।

43. मछली पालन की तकनीक को गाँव–गाँव तक पहुँचाने के उद्देश्य से अब–तक 5,809 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 18,200 मत्स्य कृषकों तथा सखी मंडल की महिला सदस्यों को मछली पालन का प्रशिक्षण देने की योजना है।

44. आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कुल 1,28,684 मछुआरों को सामूहिक आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत बीमित किया गया है। इससे आच्छादित बीमित की मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर बीमा कम्पनी द्वारा दो लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। आंशिक स्थाई अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये का भुगतान बीमित को किया जाता है।

45. मछुआ परिवारों को रहने का स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के उद्देश्य से **वेद व्यास आवास योजना** के अन्तर्गत कुल 2,735 मछुआ परिवारों के लिए पक्का आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी 2,100 मछुआ परिवारों को पक्का आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी।

सिंचाई

46. **अध्यक्ष महोदय,** कृषि के विकास के लिए सिंचाई सुविधा का होना नितांत आवश्यक है। मुझे इस सदन को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने इस दिशा में बेहतर कार्य किया है। वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से मार्च, 2015 तक मात्र 91,323 हेक्टेयर क्षेत्र में ही पटवन होता था। इन पुरानी योजनाओं का जीर्णोद्धार, नहरों का लाईनिंग कार्य तथा निर्माणाधीन योजनाओं से आंशिक पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र बढ़कर 2,10,637 हेक्टेयर हो गया है।

47. लघु सिंचाई के क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में 389 श्रृंख्लाबद्ध चेकडैम, 8 वियर योजना, 7 उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण पूरा कर 41,889 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। इसी प्रकार 271 लघु सिंचाई योजनाओं के desiltation तथा जीर्णोद्धार कर 14,729 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया है।

48. वित्तीय वर्ष 2019–20 में 300 चेकडैम, 50 उद्वह सिंचाई योजना के निर्माण तथा 350 लघु सिंचाई योजना/बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

49. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 1992 से लंबित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को पूर्ण करने की दिशा में आ रही सारी बाधाओं को दूर करते हुए अवशेष कार्य को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 05.01.2019 को शिलान्यास किया गया। इसके पूर्ण होने से झारखण्ड के सूखाग्रस्त पलामू जिले में 12,570 हेक्टेयर तथा गढ़वा जिले में 2,320 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

50. राज्य के दो सुखाड़ग्रस्त जिलों यथा – **पलामू** तथा **गढ़वा** में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1,169 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना स्वीकृत की गई है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 05.01.2019 को किया गया है। इस योजना के तहत सोन एवं कनहर नदी से पानी को वर्षा के मौसम में लिफ्ट कर इन जिलों में अवस्थित जलाशयों को भरा जायेगा, ताकि Lean Season में वे अपनी क्षमता के अनुसार सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सके।

ग्रामीण विकास

51. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के सभी प्रखण्डों में **सखी मंडलों** का गठन कर महिला सदस्यों को प्रशिक्षित करते हुए बैंक लिंकेज एवं मुद्रा योजना के जरिये ऋण देकर

उद्यमी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इन सखी मंडलों द्वारा राज्य भर में 80 से ज्यादा आजीविका **दीदी कैफे** चलाये जा रहे हैं। उत्पाद के रूप में सैनिटरी नैपकिन, इमली प्रसंस्करण, शहद उत्पादन, कृषि संयंत्र बैंक की इकाई लगायी गई है। कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं को इन सखी मंडलों के साथ Convergence करते हुए 9.5 लाख पपीता, 9 लाख सहजन का पौधा एवं 72 हजार परिवारों को पशु का वितरण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सखी मंडलों के द्वारा 3.5 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

52. राज्य में सभी आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत तीव्र गति से मकान बनाये जा रहे हैं। अब तक कुल 5,28,791 लक्ष्य के अंतर्गत 3,61,861 आवासों का निर्माण हो गया है। आवास के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से 5 किस्तों की जगह 3 किस्तों में सम्पूर्ण राशि देने का निर्णय लिया गया है। दुर्गम क्षेत्रों में Corrugated sheet से छत बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कुल 1,50,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

53. प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर **बाबा साहब अम्बेदकर आवास योजना** राज्य सरकार अपनी निधि से चला रही है। विधवा मुखिया वाले परिवारों के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों तथा परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

54. गाँवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए रूरबन मिशन योजना के साथ–साथ **सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना** तथा **आदर्श ग्राम योजना** के तहत विभिन्न गाँवों को सभी विभागों की योजनाओं से आच्छादित करते हुए विकसित किया जा रहा है।

55. राज्य के गाँवों में प्रचलित पारम्परिक शिल्प कला एवं कौशल को विकसित करने की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2019—20 में राज्य सरकार ने **मुख्यमंत्री आजीविका संवर्द्धन योजना** के नाम से एक नई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अन्तर्गत सखी मंडलों की तर्ज पर पुरुषों के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा, ताकि उनकी आय में सतत् वृद्धि हो सके तथा परंपरागत शिल्प कला का भी संरक्षण एवं संवर्द्धन किया जा सकेगा।

56. सखी मंडलों के गठन के क्रम में यह पाया गया कि विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन उत्थान के लिए विभिन्न क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं जीविका में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि इन विशिष्ट जनजातीय परिवारों को मुख्य धारा में लाया जा सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु **बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना** के नाम से नई योजना वर्ष 2019—20 में प्रारम्भ की जा रही है। इससे लगभग 10,000 परिवारों को लाभ मिल सकेगा।

57. विभिन्न विभागों के साथ Convergence करते हुए गाँवों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा महसूस किया गया है कि कई ऐसे जरूरी निर्माण कार्य हैं, जिन्हें अन्य किसी योजना से अब तक नहीं कराया जा सका है तथा भविष्य में भी नहीं कराया जा सकेगा। ऐसे कार्यों को कराने हेतु **अटल ग्रामोत्थान योजना** नामक नई योजना वर्ष 2019—20 में प्रारम्भ की जायेगी, ताकि ऐसे मॉडल गाँव पूर्णरूपेण विकसित हो सकें।

58. स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास में जन—जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी गाँवों में आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास

समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति को गाँवों के लिए स्थानीय महत्व की छोटी–छोटी योजनायें, जिनकी वर्तमान प्राक्कलित राशि 5 लाख रुपये तक की हो तथा क्रियान्वयन अवधि एक वर्ष से कम की हो, को क्रियान्वयन कराने का दायित्व दिया गया है। ये समितियाँ समुदाय संचालित लोक निगरानी एवं योजना क्रियान्वयन पद्धति को प्रोत्साहित करेंगी।

59. वित्तीय वर्ष 2018–19 में आदिवासी विकास समिति / ग्राम विकास समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इन समितियों को 120 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी।

स्कूली शिक्षा

60. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की **साक्षरता दर** बढ़कर 81.25 प्रतिशत हो चुकी है। प्रारंभिक कक्षा (1–8) तक में GER एवं NER शत–प्रतिशत तक पहुँच चुका है। पहली बार 1,828 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत तथा 496 पंचायतों को शत–प्रतिशत साक्षर पंचायत घोषित किया गया है। हमारी सरकार ने पहली बार सभी 263 प्रखण्डों को आवासीय विद्यालय की सुविधा से आच्छादित किया है।

61. सभी 34,939 विद्यालयों में बेंच–डेस्क की व्यवस्था कर दी गई है, जो वर्ष 2014 में मात्र 3,269 विद्यालयों में थी। सभी 34,939 विद्यालयों में विद्युत संबद्धता प्रदान करते हुए पंखा इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जो वर्ष 2014 में मात्र 4,277 विद्यालय में थी। सभी विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। 49,912 कमरों का निर्माण कर आधारभूत संरचना मजबूत की गयी है। 915 विद्यालय में कम्प्यूटर की सुविधा दी गई है। ग्रामीण स्तर पर 295 पुस्तकालय की स्थापना की गई है। 260 विद्यालयों में व्यावासायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर 23,242 विद्यार्थी को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया है।

62. राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सराहनीय प्रयास किये है। NCERT द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षा में 2017–18 NAS में झारखण्ड ने देश में सातवाँ स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व NAS में राज्य 24वें स्थान पर था। मैट्रिक, 2018 की परीक्षा में राज्य सृजन के बाद सर्वाधिक 1,01,020 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जो कुल परीक्षार्थी का 23.58 प्रतिशत है। तृतीय श्रेणी में सबसे कम 8.34 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए है।

63. इस सरकार के कार्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 16,394 शिक्षकों, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु 1,326 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। कुल 17,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। 7 जिलों का परीक्षाफल घोषित हो गया है। वर्ष 2019–20 की प्रथम तिमाही में नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

64. बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने के उद्देश्य से 6 जनजातीय भाषा (संथाली–ओलचिकी, संथाली–देवनागरी, हो, कुडुख, खड़िया एवं मुंडारी) तथा 2 क्षेत्रीय भाषा (उड़िया/बंगला) में पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं। JCERT में पहली बार पूर्णकालिक निदेशक का पदस्थापन कर इसे पाठ्य–पुस्तक का निर्माण, मुद्रण, वितरण का कार्य सौंपा दिया गया है। हमने पाठ्य–पुस्तकों के Reuse को बढ़ावा दे कर 20.64 करोड़ रुपये की बचत करते हुए पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए LPG आधारित कुकिंग चूल्हा की आपूर्ति की गई है।

65. राज्य सरकार Sustainable Development Goals की प्राप्ति हेतु कृत संकल्पित है। इसके अन्तर्गत यूनिवर्सल एवं गुणवत्ता पूर्ण **माध्यमिक शिक्षा** का

लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना तथा जेंडर अन्तर को समाप्त करना भी लक्ष्य के रूप में निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इन कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

66. वित्तीय वर्ष 2019–20 में **गोड्डा** जिले में एक नये **सैनिक स्कूल** की स्थापना की जायेगी। यह राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल होगा।

67. **मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना** को एक नई योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2019–20 से लागू किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा आठवीं कक्षा के राज्य स्तर पर 1,000 छात्र–छात्राओं का चयन कर उन्हें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, जिला स्तर पर 3,600 छात्र–छात्राओं का चयन कर उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष तथा प्रखण्ड स्तर पर 2,630 छात्र–छात्राओं का चयन कर उन्हें 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जायेगी। इससे कुल 7,230 छात्र–छात्राएँ लाभान्वित होंगी।

68. **मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन** नामक नई योजना वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक में नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। कक्षा आठ में अध्ययनरत 84,800 छात्राओं का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन कर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान किया जायेगा, ताकि वे माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक की पढ़ाई निर्बाद्ध तरीके से सम्पन्न कर सकें।

69. **साक्षर झारखण्ड अभियान** नामक नई योजना वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 5 जिलों यथा – **पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावां, खूँटी, सिमडेगा** एवं **जामताड़ा**, जो साक्षर भारत

योजना से आच्छादित नहीं थे, में पूर्व से चिन्हित 12,19,200 निरक्षरों को साक्षर बनाने की कार्रवाई की जायेगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

70. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में युवक/युवतियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 11 जिलों में महिला महाविद्यालय, शैक्षणिक रूप से पिछड़े 12 जिलों में मॉडल महाविद्यालय एवं वैसे विधानसभा क्षेत्र जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं थे, में 27 डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन भवनों का निर्माण कार्य जारी है। वर्ष 2019–20 में इन भवनों को पूरा करने की कार्रवाई की जायेगी।

71. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय तथा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के लिए भवन तथा परिसर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के तहत राँची कॉलेज को डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय तथा जमशेदपुर महिला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है। झारखण्ड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

72. राज्य में उच्च शिक्षा प्रक्षेत्र में GER दर, जो वर्ष 2012–13 में मात्र 10.1 थी, बढ़कर वर्ष 2017–18 में 18 हो गयी है। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सुखद उपलब्धि है तथा राज्य सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है। यह प्रयास वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी जारी रहेगा।

73. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु सभी विश्वविद्यालयों में **Innovation-cum-Start up Centre** की स्थापना वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। इससे उत्तीर्ण

छात्र–छात्राओं में Self Entrepreneurship को बढ़ावा मिल सकेगा। छात्र–छात्राओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर **Placement Cell** की स्थापना भी की जायेगी। ITE Singapur की मदद से राँची में Brownfield Skill Centre की स्थापना की जायेगी।

74. अब तक 96 महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को NAAC Accreditation प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में शेष सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए NAAC Accreditation प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

75. सारठ में महिला महाविद्यालय तथा 07 विधान सभा क्षेत्रों यथा – **बडकागाँव, माण्डू, सिमरिया, लिट्टीपाड़ा, पांकी, विश्रामपुर** एवं **जुगसलाई**, जहाँ वर्तमान में एक भी अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय नहीं है, में एक–एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। **लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ** एवं **बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनकियारी** में भी डिग्री महाविद्यालय खोला जायेगा।

76. **गोड्डा** एवं **बोकारो** जिला में नये प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना की जायेगी। **कोडरमा जिला में जयनगर, चाईबासा, नॉलेज सिटी खूँटी** तथा **पतरातू** में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जायेगी।

77. राँची में राष्ट्रीय स्तर के साईंस सिटी का निर्माण कराया जायेगा। राँची विज्ञान केन्द्र में निर्माणाधीन तारामंडल चालू किया जायेगा।

78. पूर्व से संचालित सरकारी क्षेत्र में 12 पोलिटेकनिक का NBA से Accreditation प्राप्त कर नामांकन क्षमता में बढ़ोत्तरी की जायेगी एवं नया संकाय प्रारम्भ किया जायेगा।

कौशल विकास

79. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की युवा शक्ति को रोजगार से जोड़ने हेतु अगले पाँच वर्षों में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष अब तक कुल 1,06,619 युवाओं को नियोजित कराया गया है, जिसकी बानगी दिनांक 10 जनवरी, 2019 को आयोजित Global Skill Summit में देखने को मिली। निजी क्षेत्र में युवाओं को नियोजित करवाने का सिलसिला वर्ष 2019–20 में जारी रहेगा।

80. युवाओं के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के तहत 60 प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। 22 दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्रों (Mega Skill Centre) ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

स्वास्थ्य

81. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। विगत चार वर्षो में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक लोकोपयोगी योजनायें प्रारम्भ की गई हैं। इस क्षेत्र में हमने सुखद उपलब्धि हासिल की है तथा स्वास्थ्य सूचकांकों में भी काफी सुधार हुआ है।

82. शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 34 प्रति हजार जीवित जन्म था, जो वर्ष 2016 में घटकर 29 हो गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 34 है। मातृ मृत्यु दर जो वर्ष 2000 में 400 प्रति लाख जीवित जन्म था, अब घटकर 165 हो गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 130 है। संस्थागत प्रसव जो वर्ष 2014 में 61.90 प्रतिशत था, बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया है। पूर्ण टीकाकरण दर वर्ष 2014 में 61.90 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 96 प्रतिशत हो गया है।

83. झारखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत **देवघर के देवीपुर में AIIMS** की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। वर्ष 2019–20 में इसमें नामांकन करने की कार्रवाई की जायेगी।

84. झारखण्ड राज्य गठन से लेकर वर्ष 2014 तक राज्य में मात्र तीन **मेडिकल कॉलेज** ही कार्यरत थे। हमारी सरकार ने **हजारीबाग, पलामू** और **दुमका** में एक–एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इन तीनों कॉलेज का भवन निर्माण पूर्ण होने के कगार पर है। **कोडरमा** एवं **चाईबासा** में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रथम तिमाही में इनका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। इन पाँच नये मेडिकल कॉलेज के चालू होने से राज्य में MBBS की सीटों की संख्या 300 से बढ़कर 900 हो जायेगी।

85. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत **मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना** को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ समाहित कर संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 23.09.2018 को माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पूरे देश में शुभारम्भ किया गया है। इस योजना से राज्य के 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अन्तर्गत अभी तक कुल 569 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 221 सरकारी एवं 348 निजी अस्पताल हैं। दिसम्बर, 2018 तक इस योजना के तहत 22,630 दावों पर 22.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

86. राज्य में **108–इमरजेन्सी मेडिकल एम्बुलेन्स सेवा** लागू की गई है, जिसके तहत अबतक 300 एम्बुलेन्स की सेवा उपलब्ध हो गई है। इस योजना का लाभ

अबतक 86,754 मरीजों को मिल चुका है, जिनमें सड़क दुर्घटना के 5,578 मामले भी सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत 30 और एम्बुलेन्स की सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

87. रिम्स, राँची में टरसियरी केयर कैन्सर सुविधा की योजना के तहत **State Cancer Institute** की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 120 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृति दी गयी है जिसमें 72 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 48 करोड़ रुपये की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस योजना पर कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

88. रिनपास परिसर, राँची में एक **Cancer Hospital** खोलने हेतु राज्य सरकार एवं टाटा ट्रस्ट के बीच दिनांक 10.11.2018 को MoU हस्ताक्षरित किया गया है। 300 शय्यावाले विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा तथा 100 शय्या अस्पताल 2019 के अन्त तक संचालित करने का लक्ष्य है। अब झारखण्ड के कैंसर से प्रभावित मरीजों को अपने ईलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

89. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में वर्तमान में 150 MBBS सीटों को बढ़ाकर 250 सीट करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2019–20 से 250 MBBS सीटों पर नामांकन के लिए MCI को आवेदन किया गया है।

90. विभागन्तर्गत इस वर्ष 90 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 208 अनुबंध चिकित्सक तथा 103 दंत्त चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 110 चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 418 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है।

91. राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई Non-Profit/ Charitable/ Spiritual Organization राज्य में शैक्षणिक / स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु

कोई संस्थान स्थापित करना चाहता है, तो उन्हें बाजार मूल्य के 50% दर पर सरकारी भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। अगर वे यह संस्थान राज्य के चिन्हित 110 पिछड़े प्रखण्डों में खोलना चाहेंगे, तो उन्हें बाजार मूल्य के 25% दर पर सरकारी भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस निर्णय से राज्य में कई नये निजी अस्पताल, स्कूल तथा महाविद्यालय खुलेंगे।

92. वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्न नई योजनाओं को प्रारम्भ किया जायेगा :–

(क) प्रेझा फॉण्डेशन के माध्यम से **साहेबगंज, राँची (ईटकी), गुमला** तथा **पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)** में ANM/GNM स्कूल का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

(ख) **नवजात शिशुओं के लिए बेबी केयर किट योजना** – सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के लिए बेबी केयर किट उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) 104 हेल्प लाईन सेवा के साथ **ममता वाहन योजना** को समाहित किया जायेगा।

(घ) कॉमन सर्विस सेन्टर के जरिये **टेलीमेडिसिन सेवा** के द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

(ङ) शहरी क्षेत्र में स्लम क्षेत्रों में **मुहल्ला क्लीनिक की योजना** चलायी जायेगी।

(च) **मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना** – राज्य में कार्यरत 40,000 सहिया को एक आरोग्य कुंजी उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके द्वारा वे तत्काल प्राथमिक उपचार दे सकेंगी। ग्रामीण परिवारों को सामान्य स्वास्थ्य सेवायें

घर पर ही प्राप्त हो सकेंगी। आवश्यकता होने पर रोगियों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में भेजा जायेगा।

(छ) **मुख्यमंत्री बाईक एम्बुलेन्स योजना** – राज्य के दूरस्थ इलाकों में तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बाईक एम्बुलेन्स योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस बाईक में साईड कार रहेगी, जिसमें गंभीर रोगी को तत्काल अस्पताल पहुँचाया जा सकेगा। इस एम्बुलेन्स में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दुर्गम क्षेत्र के रोगियों के लिए यह सेवा वरदान साबित होगी।

उद्योग एवं स्वरोजगार

93. **अध्यक्ष महोदय,** Momentum Jharkhand, Global Investor Summit-2017 के आयोजन के बाद से अबतक 492 औद्योगिक इकाइयों को जियाडा एवं अन्य माध्यम से भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस भूमि पर आधारभूत संरचनाओं का कार्य किया जा रहा है। इस राज्य में 50,302 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 69,615 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। Electronic Manufacturer Cluster (EMC), IT Tower, Plastic Park इत्यादि के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। Zero Liquid Discharge Treatment Plant की स्थापना तुपुदाना औद्योगिक प्रक्षेत्र राँची में की जा रही है।

94. राज्य की आकर्षक झारखण्ड टेक्सटाईल पॉलिसी के फलस्वरूप 06 टेक्सटाईल कंपनियों ने Production का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिससे 3,600 लोगों को रोजगार मिला है। इस क्षेत्र में 24 अन्य औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। इनमें Production प्रारम्भ होने पर 38 हजार कुशल महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

95. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पिछले 4 वर्षों में 48 फूड पार्क से संबंधित उद्योग इकाइयों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग में कुल 161 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गयी है एवं इकाई निर्माण का कार्य प्रक्रियारत है। इन इकाइयों के स्थापित हो जाने से किसानों को उनकी उपज का उचित बाजार मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

96. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम की योजना राज्य में संचालित की जा रही है, जिसके तहत 76.57 करोड़ की लागत से **मेगा हैण्डलूम क्लस्टर, गोड्डा** की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना से छः जिलों के हस्तकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे।

97. वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों को सुदृढ़ करने तथा 5,000 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

98. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत किस्म के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु C-DAC के माध्यम से **अरबन हाट हजारीबाग, अरबन हाट देवघर, जिला उद्योग केन्द्र, लातेहार** एवं **हस्तशिल्प संसाधन केन्द्र, सरायकेला एवं राँची** में 05 प्रशिक्षण केन्द्रों में कम्प्यूटर आधारित डिजाईन में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा।

99. हस्तशिल्प कलाओं को आधुनिक स्वरूप देने के उद्देश्य से NID अहमदाबाद के सहयोग से **राँची में Jharkhand Institute of Craft Design (JICD)** की शुरुआत की जायेगी।

100. झारखण्ड राज्य तसर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। लगभग 1.70 लाख से अधिक रेशम कृषक रेशम उत्पादन से सम्बद्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में

अबतक तसर रेशम का उत्पादन 1,076.79 मीट्रिक टन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019—20 में 2,700 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

101. राज्य में अधिक रेशम उत्पादन के बावजूद रेशम आधारित उन्नत किस्म के उत्पादन की कमी है। आगामी वित्तीय वर्ष में रीलिंग स्पीनिंग से संबंधित योजनाओं को संचालित किया जायेगा। प्री कोकुन में 10,000 व्यक्तियों को उन्नत श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

102. वित्तीय वर्ष 2019—20 में मलबरी रेशम के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा इसके तहत मलबरी खाद्य पौधों का पौधरोपण, मलबरी कीटपालकों को कीटपालन उपकरणों की सुविधा प्रदान की जायेगी। रेशम प्रक्षेत्र में बुनियादी एवं वाणिज्यिक कीटपालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

103. रेशम, खादी एवं अन्य परिधानों में उन्नत एवं नये डिजाईन/फैशन के अनुरूप निर्माण की सुविधा राज्य में उपलब्ध हो सके, इसके लिए NIFT के सहयोग से राँची में NIFT सेन्टर की स्थापना की जायेगी।

104. झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड न सिर्फ राज्य में खादी उत्पादों का प्रचार/प्रसार कर रहा है, बल्कि ग्रामीण नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। खादी उत्पाद के विकास हेतु **दुधानी, दुमका** एवं **राजनगर, सरायकेला—खरसावां** में **खादी पार्क** की स्थापना का प्रस्ताव है।

105. राज्य सरकार द्वारा कुम्हारों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य करने वाले कारीगरों को तकनीकी सुविधा, आर्थिक सहायता एवं कार्य के विकास तथा विपणन आदि सुविधायें उपलब्ध कराने एवं समस्याओं के निराकरण हेतु झारखण्ड

माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए 856 लाख रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

पर्यटन

106. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 में जहाँ देशी पर्यटकों की संख्या 3,34,27,144 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,54,731 थी, वहीं वर्ष 2017 में देशी पर्यटकों की संख्या 3,37,23,185 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,70,987 रही।

107. देवघर में **Food Craft Institute** का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2019—20 में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त **ब्राम्बे में निर्मित Institute of Hotel Management** में Principal की नियुक्ति कर ली गई है तथा वित्तीय वर्ष 2019—20 में इस संस्थान को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

108. प्रसाद योजनान्तर्गत देवघर के विकास हेतु लगभग 45 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019—20 में किया जायेगा। इस योजनार्न्तगत काँवरिया पथ, शिवगंगा तालाब, बैद्यनाथ मंदिर के पास की गलियों में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दो धार्मिक पर्यटन स्थलों यथा — बासुकीनाथ तथा ईटखोरी के विकास हेतु DPR तैयार कर लिया गया है, जिसे भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2019—20 में कार्यान्वयन कराया जायेगा।

109. दलमा—चांडिल—गेतलसूद—नेतरहाट बेतला ईको टूरिज़्म सर्किट के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से 52.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस सर्किट अन्तर्गत दलमा, चांडिल डैम, गेतलसूद डैम, नेतरहाट तथा बेतला में

पर्यटक सुविधा हेतु निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण कराया जाना है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया जायेगा।

110. ईटखोरी के वृहद पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। इस पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

111. देवघर में Q-Complex Phase II (वर्तमान में निर्मित Q-Complex का विस्तार) निर्माण कराने की योजना है।

112. कैलाश–मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले राज्य के 100 स्थानीय निवासियों को एक लाख रुपये की सबसिडी देने की योजना स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इसे जारी रखा जायेगा।

113. जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों पर आवश्यक विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु जिला को आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जायेगी।

खेलकूद

114. **अध्यक्ष महोदय, राँची, गुमला** तथा **खूँटी** सहित अन्य जिलों के महत्वपूर्ण खेल प्रक्षेत्रों में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम तथा एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण कराया जायेगा।

115. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय **कमल क्लब खेल मैदान** का निर्माण कराने का प्रस्ताव है, ताकि गाँव स्तर पर खेल प्रतिभा को निखारा जा सके।

116. सभी आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

117. देवघर जिलान्तर्गत **टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स योजना** के तहत एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

118. **दुमका** में वृह्द स्तरीय संग्रहालय व कला केन्द्र का निर्माण कराया जायेगा।

119. फुटबॉल, हॉकी एवं तीरदांजी में Centre of Excellence प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

120. **अध्यक्ष महोदय,** महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर एवं बाल विवाह कुप्रथा का अंत के उद्देश्य के साथ **मुख्यमंत्री सुकन्या योजना** जनवरी, 2019 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत Socio Economic Caste Census (SECC)– 2011 (ग्रामीण) सूची अन्तर्गत वंचित परिवार एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार की दो बालिकाओं/युवतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजनान्तर्गत जन्म से दो वर्ष तक की बालिका की माता के खाते में 5,000 रुपये, कक्षा–I में नामांकन कराने पर, कक्षा–V उत्तीर्ण करने पर, कक्षा–VIII उत्तीर्ण करने पर, कक्षा–X उत्तीर्ण करने पर तथा कक्षा–XII उत्तीर्ण करने पर 5,000 – 5,000 रुपये देय होगा एवं 18–20 वर्ष की आयु पूरी करने तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

121. कुपोषण मुक्त झारखण्ड की दिशा में एक नये कदम के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना पोषण अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस योजनान्तर्गत तकनीकी साधनों के प्रयोग द्वारा योजनाओं का अनुश्रवण किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से लक्षित समूह (यथा : 0–6 आयुवर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं

किशोरी बालिकाओं के लिए) के कुपोषण स्तर में समयबद्ध ढ़ंग से 2% प्रतिवर्ष की दर से कुल 6% की कमी लाने का लक्ष्य है।

122. राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में क्रमशः 1,500, 750 तथा 1,250 रुपये की वृद्धि की गई है।

123. राज्य के सभी दिव्यांगजनों को केन्द्र सरकार की योजना के तहत **Unique Disability Identity Card** प्रदान किया जा रहा है। इस पहचान पत्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी आसानी होगी। साथ ही, एक Database तैयार हो सकेगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की दिव्यांगता का प्रतिशत अधिक है तथा इसके उपचार एवं सहायता हेतु तदनुसार योजनायें तैयार की जा सकेंगी।

124. वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के कमजोर वर्गों को प्रदान किये जा रहे पेंशन की वर्तमान राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

125. निर्भया फंड के तहत वर्तमान में राज्य में तीन One Stop Centre राँची, जमशेदपुर तथा धनबाद में संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के अन्य **21 जिलों में One Stop Centre** प्रारम्भ किया जायेगा।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

126. **अध्यक्ष महोदय, आवासीय विद्यालय** – अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसख्यंक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक माहौल में गुणत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं उनका सर्वांगीण विकास कराने हेतु कुल 143 आवासीय विद्यालय एवं 32 पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

127. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा 11 आश्रम विद्यालय कुल 18 विद्यालय राज्य में संचालित हैं। कुल 4 एकलव्य/आश्रम विद्यालयों की CBSE से सम्बद्धता प्राप्त की गई है। शेष 14 एकलव्य/आश्रम विद्यालयों को CBSE से सम्बद्धता प्राप्त करने की कार्रवाई वर्ष 2019–20 में की जायेगी।

128. कुल 27 आवासीय विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

129. **साईकिल वितरण योजना** – निर्बाध शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु एवं Drop-out Rate को कम करने की दिशा में विभाग द्वारा साईकिल योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत DBT के माध्यम से योग्य छात्र/छात्राओं को आच्छादित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में साईकिल योजना अन्तर्गत प्रति साईकिल क्रय हेतु राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गयी है। इस योजना को वर्ष 2019–20 में जारी रखा जायेगा।

130. **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** – अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं की देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से UPSC की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार की तैयारी हेतु एकमुश्त एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करने की योजना स्वीकृत की गई है। इसे वर्ष 2019–20 में जारी रखा जायेगा।

131. हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ख्याति प्राप्त की है। राज्य के युवा खिलाड़ियों की दक्षता

में निखार लाने हेतु एवं खेलो इण्डिया को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय 2018–19 में कुल 1,400 लाख रुपये की राशि से खूँटी एवं गुमला जिला में एस्ट्रो टर्फ की योजना स्वीकृत की गई है। राँची जिला के बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम में 700 लाख रुपये की राशि से सिन्थेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, बरियातु में 600 लाख रुपये की राशि से एस्ट्रो टर्फ का निर्माण कराया जा रहा है।

132. **बिरसा मुण्डा सेन्ट्रल जेल म्यूजियम** – राँची जिला में अवस्थित 150 वर्ष पुराने बिरसा मुण्डा सेन्ट्रल जेल को संरक्षित करते हुए संग्राहलय के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु कुल 25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पुराने जेल भवन तथा उसकी चहारदिवारी का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण कार्य, क्षेत्रीय विरासत को प्रदर्शित करने वाले दृश्य, भगवान बिरसा मुण्डा की विशाल मूर्ति की स्थापना, झारखण्ड स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ, बिरसा मुण्डा एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर लाईट एण्ड साउन्ड प्रोग्राम के माध्यम से प्रदर्शन तथा पूरे जेल परिसर का सौन्दर्यीकरण किया जाना है। बिरसा मुण्डा संग्रहालय में राज्य के गाँवों से पावन मिट्टी का संग्रह करते हुए बिरसा मुण्डा सेन्ट्रल जेल में भगवान बिरसा मुण्डा एवं अन्य शहीदों की प्रतिमाओं को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

133. **शहीद ग्राम विकास योजना** – देश के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहूति देने वाले जनजातीय शहीदों के सम्मान में विभाग द्वारा शहीद ग्राम विकास योजना की शुरूआत की गई थी। इस क्रम में भगवान बिरसा मुण्डा, गया मुण्डा, जतरा टाना भगत, वीर बुधु भगत, सिद्धो–कान्हू/चाँद–भैरव, नीलाम्बर–पीताम्बर, दिवा एवं किशुन तथा तेलंगा

खड़िया की जन्मस्थली से संबंधित ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने हेतु योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। वर्ष 2018–19 में पश्चिम सिंहभूम एवं गोड्डा जिले के वीर शहीद क्रमशः पोटो हो तथा भागीरथ मांझी के ग्राम को उक्त योजना अन्तर्गत शामिल किया गया है।

134. कौशल विकास को गति देने हेतु Special Purpose Vehicle के रूप में **प्रेझा फाउण्डेशन (PANIIT-Alumni Reach For Jharkhand Foundation)** का गठन किया गया है, जिसके द्वारा कल्याण गुरुकुल एवं कौशल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक गुरुकुल स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रेझा फाउण्डेशन द्वारा राज्य के 20 जिलों में कुल 25 कल्याण गुरुकुल का संचालन किया जा रहा है। **राँची के चान्हो प्रखंड** में नर्सिंग कौशल कॉलेज का भी संचालन किया जा रहा है।

135. राज्य की बेटियों को तकनीकी एवं नर्सिंग की शिक्षा के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े इस उद्देश्य से, विशेषकर जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पहल करते हुए विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से **राँची, गुमला, सरायकेला** एवं **दुमका** में नर्सिंग कौशल कॉलेज तथा **राँची, साहेबगंज** एवं **सिमडेगा** में कौशल कॉलेज संचालित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

136. विभाग द्वारा संचालित सभी गुरुकुलों से कुल 6,205 युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए 5,198 युवाओं को नियोजित किया जा चुका है, जिसमें 71.52 प्रतिशत जनजातीय समूह के युवा सम्मिलित हैं।

137. खरीफ मौसम में कुल 48,000 लाभुकों को पोषण वाटिका से आच्छादित किया गया है।

138. राज्य सरकार द्वारा **दुमका एवं चाईबासा** जिले में **Targeting the Hard Core Poor Project** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के माध्यम से चयनित 2,000 अति निर्धन एकल महिला प्रधान जनजातीय परिवारों को 2 वर्षों में गरीबी की जटिलताओं से बाहर निकालने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को कृषि एवं कृषि आधारित तथा गैर–कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार से जोड़ा गया है तथा साप्ताहिक कोचिंग एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से लाभार्थियों के स्वरोजगार संबधित परिसम्पतियों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

139. राज्य के अति कमजोर जनजातीय समूह के शत–प्रतिशत परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **बिरसा आवास योजना** संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1.315 लाख रुपये की दर से 4,540 इकाइयों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत 3,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य है।

140. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक निगम** – वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभुकों को अनुदानित ऋण मुहैय्या कराने के लिए प्रत्येक निगम हेतु सहायता अनुदान मद में 5 करोड़ रुपये की दर से कुल 20 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है। **पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम** का भी गठन किया जायेगा।

141. झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् पहली बार **झारखण्ड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग** का गठन करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इससे संबंधित अधिनियम बन जाने के उपरान्त अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

142. झारखण्ड राज्य के अधिकतम अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने हेतु झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में संशोधन करते हुए आयोग का गठन कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में 2,620 यात्रियों को हज पर भेजा गया है।

143. वित्तीय वर्ष 2018–19 में अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु कुल 30 करोड़ रुपये की राशि जिलों को आवंटित की गई है। घेराबन्दी की योजनाओं का चयन जिला स्तर पर किया जा रहा है। इस बजट में भी इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता

144. **अध्यक्ष महोदय,** यह बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि पूरे राज्य को **खुले में शौच से मुक्त** घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 में राज्य में शौचालय से आच्छादन 16 प्रतिशत था, जिसे इतनी अल्प अवधि में 33 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

145. इस बजट में ODF plus अन्तर्गत ठोस तरल कचरा प्रबंधन का कार्य कर गाँव को स्वच्छ करने के कार्य हेतु प्रावधान किया गया है।

146. वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों के मात्र 12 प्रतिशत आबादी को पाईप द्वारा पेयजलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी, जो आज बढ़कर 32 प्रतिशत हो गई है। विगत् 3 वर्षों में कुल 350 अदद् बड़ी जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 113 बड़ी योजनायें पूरी कर दी गई हैं। शेष 237 पर कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं का कार्य पूरा होने पर इस वर्ष के अंत तक राज्य की 40 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को एवं वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाईप के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

147. आदिम जनजाति के लगभग 2,600 अनाच्छादित टोलों के पूर्ण आच्छादन का कार्य किया जा रहा है। सभी फ्लोराइड/आरसेनिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। ये सभी योजनायें वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर ली जायेंगी।

148. अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति बाहुल्य टोलों में कम से कम एक मिनी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन कर इन टोलों का शत–प्रतिशत आच्छादन वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया जायेगा।

149. वर्ष 2019–20 में **स्वजल योजना** के तहत सौर ऊर्जा आधारित पाईप जलापूर्ति योजना से भी कम से कम 1,000 टोलों में जलापूर्ति की जायेगी।

150. शहरी जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत राँची मिसिंग लिंक बुण्डू, गुमला, लोहरदगा, झुमरीतिलैया फेज–1, मानगो फेज–1, चास, दुमका, मिहिजाम, जामताड़ा आदि शहरी जलापूर्ति योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं।

151. **चतरा फेज–2, खूँटी, चक्रधरपुर, मझियांव, लातेहार, मधुपुर, गढ़वा, पाकुड़** आदि शहरी जलापूर्ति योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

152. **खूँटी शहरी जलापूर्ति** योजना के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। **बासुकीनाथ एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना** की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019–20 में दी जायेगी।

153. **राँची फेज–II, मेदिनीनगर, कोडरमा, झुमरीतिलैया, सिमडेगा, देवघर, बासुकीनाथ, चाईबासा, साहेबगंज** जलापूर्ति योजना प्रारम्भ की जायेगी।

154. वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य की कुल 4,396 पंचायतों में से एक तिहाई पंचायतों यथा – 1,465 पंचायतों में Solid Liquid Waste Management की योजना क्रियान्वित की जायेगी।

शहरी विकास

155. **अध्यक्ष महोदय,** HEC क्षेत्र के 656 एकड़ भूमि पर Smart City परियोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति 1,110.73 करोड़ रुपये की लागत पर प्रदान की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन तथा भूमि आवंटन का कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रथम तिमाही में प्रारम्भ हो जायेगा। इसी भूमि पर राज्य निधि से Convention Centre, Urban Civic Tower एवं JUPMI का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिसे वर्ष 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

156. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अबतक 2,13,530 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। कुल 4,562 सीट वाले 549 सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है एवं कुल 1153 सीट वाले 78 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन हैं।

157. सभी नगर निकायों को ODF घोषित किया जा चुका है। इस आशय का प्रमाण पत्र Quality Council of India से प्राप्त किया गया है।

158. स्वच्छता सर्वेक्षण, 2017 की स्वच्छता तालिका में राज्य के 04 शहरों तथा स्वच्छता सर्वेक्षण, 2018 की स्वच्छता तालिका में 08 शहरों ने प्रथम 100 में जगह बनायी है। जमशेदपुर एवं चास को वर्ष 2017 में पूर्वी भारत में स्वच्छतम शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। झारखण्ड राज्य को स्वच्छता कार्यों में देश का **Best Performing State** का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। राँची, गिरिडीह, बुण्डू, चाईबासा एवं पाकुड़ को स्वच्छता के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है।

159. 21 नगर निकायों यथा – राँची, गिरिडीह, गोड्डा, मिहिजाम, पाकुड, देवघर, खूँटी, सरायकेला, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा, बुंडू, लातेहार, चिरकुंडा, चाकुलिया, चाईबासा, जामताड़ा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, साहेबगंज तथा राजमहल में ठोस अपशिष्ट योजना हेतु Agency का चयन कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इन योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

160. राँची नगर निगम, राँची में 472 पथ विक्रेताओं के लिए अटल स्मृति वेंडर मार्केट निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

161. प्रधानमंत्री आवास योजना के चौथे घटक के अंतर्गत कुल 83,336 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से कुल 36,566 आवास निर्मित किये जा चुके हैं एवं कुल 46,770 आवासों का कार्य विभिन्न चरणों पर निर्माणाधीन है। इन आवासों को वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया जायेगा।

162. वित्तीय वर्ष 2019–20 में PMAY के तीसरे घटक **'भागीदारी एवं किफायती आवास'** अंतर्गत 40,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है।

163. अमृत योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के सात शहरों यथा– **राँची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग एवं गिरिडीह** का चयन किया गया है। इन निकायों में केन्द्र सरकार के द्वारा 5 जलापूर्ति, 4 सेप्टेज प्रबंधन, 1 सिवरेज तथा 35 पार्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य जारी है।

164. नमामि गंगे के तहत साहेबगंज जिले में 33.80 करोड़ रुपये की लागत से NPCC Ltd., New Delhi द्वारा घाट एवं शवदाह गृह का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

165. 146.62 करोड़ रुपये की लागत से साहेबगंज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना तथा 56.76 करोड़ रुपये की लागत से राजमहल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इन्हें पूरा कर लिया जायेगा।

166. **राँची, धनबाद** एवं **जमशेदपुर** में ISBT एवं Transport Nagar के निर्माण हेतु योजना स्वीकृति एवं कार्यान्वयन की कार्रवाई वर्ष 2019–20 की जाएगी।

167. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत 25,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।

आधारभूत संरचना विकास

रेल एवं वायु मार्ग

168. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में निर्माणाधीन राँची–बरकाकाना–हजारीबाग– कोडरमा, कोडरमा–तिलैया तथा कोडरमा–गिरिडीह रेल परियोजनाओं का निमाण कार्य वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

169. भारत सरकार की Regional Connectivity Scheme (RCS) **''उड़ान''** के तहत **जमशेदपुर, बोकारो** तथा **दुमका** से नियमित उड़ान सेवा प्रारम्भ की जायेगी।

170. **दुमका** तथा **राँची** में Glider Pilot License (GPL) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दुमका में PPP Model पर Commercial Pilot License (CPL) प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना वर्ष 2019–20 में कर ली जायेगी।

171. देवघर में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे वर्ष 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

172. जमशेदपुर जिले में टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ Joint Venture के माध्यम से **Institute of Driving Training and Research** खोलने के लिए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। इसे वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर लिया जायेगा। अभी तक राज्य में HMV लाईसेंस के लिए वांछित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मात्र एक निजी संस्था धनबाद में कार्यरत है। यह राज्य की दूसरी संस्था होगी, जिससे HMV लाईसेंस प्राप्त करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को सुविधा प्राप्त होगी।

जल मार्ग

173. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य में गंगा नदी के तट पर साहेबगंज में एक Multi Modal Terminal के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2019–20 की प्रथम तिमाही में इस कार्य का पूर्ण कर लिया जायेगा। इसकी कुल क्षमता 2.24 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। इस Terminal के चालू हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा साहेबगंज एक वाणिज्यक हब के रूप में विकसित होगा। पूरे संथालपरगना के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

राजकीय एवं जिला पथ

174. **अध्यक्ष महोदय,** पथ यातायात व्यवस्था के विकास हेतु पथों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने, पथों की क्षमता को बढ़ाने एवं पथों की राईडिंग क्वालिटी में सुधार करने हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीन राजकीय पथ (State Highway, SH), वृहद् जिला पथ (Major District Road, MDR) एवं अन्य जिला पथों (Other District Roads, ODR) के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

175. मुझे इस सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों में पथ निर्माण के क्षेत्र में आशातीत सफलता हासिल की है। इस सरकार के कार्यकाल में कुल 4,600 कि०मी० सड़कों तथा 109 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाय, तो हमने **प्रतिदिन 3.28 कि०मी०** की दर से सड़क का निर्माण किया है। वर्तमान सरकार से पूर्व अवधि में यह दर मात्र 1.55 कि०मी० प्रतिदिन थी।

176. वर्ष 2018–19 में अब तक लगभग 2,509 करोड़ रुपये की लागत से 1,004 कि०मी० पथ एवं 8 पुलों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। जमशेदपुर में 1.50 कि०मी० लम्बाई के 4 lane elevated corridor का निर्माण भी इसमें शामिल है।

177. वित्तीय वर्ष 2019–20 में पर्यटन तथा औद्यौगिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथा अन्य अर्न्तराज्यीय पथों के निर्माण सहित लगभग 1,350 कि०मी० पथों एवं 40 वृहद् पुल के निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है।

178. राज्य में पथों का घनत्व वर्ष 2014–15 में 106.67 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग कि०मी० था, जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 153.06 कि०मी० प्रति 1,000 वर्ग कि०मी० हो गया है। यह इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।

179. वर्षों से लंबित राँची शहर के रिंग रोड सेक्शन–VII, जो NH–75 को NH–33 के साथ जोड़ता है, का निर्माण कार्य माह नवम्बर, 2018 में पूर्ण कर लिया गया है।

180. एशियन विकास बैंक के ऋण से Jharkhand State Road Project – II अन्तर्गत 178 कि०मी० पथों का निर्माण कराया जा रहा है। दुमका–हंसडीहा पथ (44.2 कि०मी०), गिरिडीह–जमुआ–चतरो–सरवन पथ (45.2 कि०मी०), गिरिडीह–टुण्डी–गिरिडीह पथ (43.5 कि०मी०) तथा खूँटी–तमाड़ पथ (43.7

कि०मी०) पर निर्माण कार्य जारी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इन्हें पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण पथ

181. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य के ग्रामीण इलाकों को बारह मासी/पक्की सड़क से जोड़ने हेतु राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जहाँ पिछले 14 वर्षों में राज्य संपोषित एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगभग 22,000 कि०मी० पथों का निर्माण कराया गया था, वहीं हमारी सरकार ने अपने 04 वर्षों के कार्यकाल में लगभग **20,000 कि०मी० पथ का निर्माण** ग्रामीण इलाकों में कराते हुए करीब 8,000 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की है।

182. चालू वित्तीय वर्ष में अबतक 2,600 कि०मी० पथ का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे 600 बसावटों को सम्पर्कता प्राप्त हुई है। अगले वित्तीय वर्ष 2019–20 में 3,000 कि०मी० पथ निर्माण के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों पूर्व बने पक्के सड़कों को सुदृढ़ कराने का लक्ष्य है।

183. वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्रामीण पथों पर 72 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 66 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस तरह के 100 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

ऊर्जा

184. **अध्यक्ष महोदय,** जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय पूरे राज्य में 68 लाख घरों के विरुद्ध मात्र 38 लाख घरों में ही बिजली की सुविधा उपलब्ध थी।

मुझे आज इस सदन को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने सभी 68 लाख घरों को बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत भवनों को भी विद्युत सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

185. दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कृषि कार्य हेतु निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु 300 Agriculture Feeder निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना के पूर्ण हो जाने से राज्य के किसानों को Dedicated एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हो सकेगी।

186. PUVNL द्वारा पतरातू में 4,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य पावर हाउस के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में पहली बार Gas Insulated Switchyard की संरचना का निर्माण किया जायेगा।

187. World Bank सम्पोषित **Jharkhand Power System Improvement Project** के तहत राँची के 3.5 लाख उपभोक्ताओं को **स्मार्ट मीटर** की सुविधा प्रदान करने की योजना स्वीकृत की गई है। इससे गुणवतापूर्ण बिजली उपलब्ध होगी तथा बिलिंग का कार्य भी मानव बल के बिना स्वतः हो जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

188. राज्य में चालू **झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना (JSBAY)** के अन्तर्गत 170 नये सब स्टेशनों का निर्माण, 59 पुराने सब स्टेशन का क्षमता

विस्तार, 33 के०भी० की 4,000 कि०मी० लाईन तथा 11 के०भी० की 3,500 कि०मी० लाईन का निर्माण करने का लक्ष्य है। निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में इन सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जायेगा। झारखण्ड के विभिन्न हिस्सों में निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूति हेतु यह योजना एक मील का पत्थर साबित होगी।

189. विश्व बैंक सम्पोषित संचरण योजना के अन्तर्गत **सिल्ली, इरबा, शिकारीपाड़ा, महुआडॉड़, अनगढ़ा, अमरापाड़ा, हंसडीहा, जरमुण्डी, चैनपुर, सुन्दरनगर, छतरपुर, रमकण्डा, चौका, कोलेबिरा, मेराल, पांकी, नगरउँटारी, चन्दवा, काण्ड्रा, कुरडेग, सारठ, सुरदा, नवाडीह** एवं **नारायणपुर** में ग्रिड सब–स्टेशनों तथा संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

190. **साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा** तथा **गुमला** जिलों में Transmission Infrastructure Gap को पूर्ण करने हेतु चार नये ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2019–20 में करने का प्रस्ताव है। इससे संथालपरगना प्रमंडल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने में आ रही सम्पूर्ण बाधायें दूर हो जायेंगी।

191. **गिरिडीह** में 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन बनकर तैयार है एवं इसको डी०वी०सी० के संचरण नेटवर्क से जोड़ने हेतु 220 के०वी० कोडरमा (डी०वी०सी०)–गिरिडीह (डी०वी०सी०) संचरण Loop in – Loop out लाईन का कार्य कराया जायेगा।

192. राज्य के लगभग 350 सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जायेगा।

193. राज्य में किसानों को सिंचाई कार्य हेतु 2,000 सोलर पम्प सेट की आपूर्ति अनुदानित दर पर की जायेगी।

194. राज्य के लाभुकों के बीच 5,000 सोलर स्ट्रीट लाईट एवं 1,00,000 लीटर गर्म जल संयत्र की आपूर्ति की जायेगी।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

195. **अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** के अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से SECC 2011 में शामिल BPL परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक तथा वैसे परिवार जिनका नाम राशन कार्ड में है परन्तु पूर्व से गैस संयोग उपलब्ध नहीं है, को **Free LPG Gas Connection** उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 13.50 लाख परिवारों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध अब तक 13.73 लाख परिवारों को LPG Gas Connection दिया गया है। अबतक इस योजना अंतर्गत कुल 25.69 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाया गया है। वर्ष 2019–20 में 15 लाख परिवारों को योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है।

196. झारखण्ड राज्य में योग्य लाभुकों को आकस्मिक परिस्थिति में खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर 10,000 रुपये एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय स्तर पर प्रति वार्ड 10,000 रुपये तथा जिला में उपायुक्त स्तर पर 5,00,000 रुपये राशि उपलब्ध कराते हुए **''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष''** का गठन किया गया है। कोष की राशि में से प्रति ''योग्य लाभुक'' को आवश्यकता पड़ने पर 10 किलोग्राम चावल खुले बाजार से क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है।

197. **चना वितरण योजना** – जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से हर राशन कार्डधारी परिवार को प्रतिमाह एक किलोग्राम चना 15 रुपये प्रति किलोग्राम के केन्द्रीय अनुदान के साथ वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

198. **अध्यक्ष महोदय,** वन संवर्द्धन एवं संरक्षण के सतत् प्रयासों के कारण राज्य का वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.21% हो गया है, जो राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुरूप राज्य की एक बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि गत 4 वर्षों में 55 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण, 9,950 हेक्टेयर प्राकृतिक वनों के पुनर्जनन तथा वनों के समीप रहने वाले ग्रामीणों की संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था के सार्थक प्रयासों के कारण हुआ है।

199. संयुक्त वन प्रबंधन के अधीन जन भागीदारी बढ़ाने हेतु इस वर्ष लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से लघु वन पदार्थ जैसे लाह, करंज, चिरौंजी, सीसल रेशा औषधीय पौधे आदि के मूल्यवर्द्धन हेतु 67 सूक्ष्म इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं।

200. ग्राम वन समितियों द्वारा प्रसंस्कृत उत्पादों का बड़ा बाजार स्थापित करने हेतु 5 जून, 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों से ग्रामीण वन समिति को आमंत्रित कर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ MoU हस्ताक्षर करने की कार्रवाई की गयी।

201. जलवायु परिवर्तन एवं अन्य कारणों से पूरे विश्व में जल संकट के प्रति चिंता बढ़ गयी है। इस दिशा में राज्य सरकार ने इस वर्ष पहल करते हुए राज्य की 24 नदियों के 136 कि०मी० तट पर **वृक्षारोपण का कार्य** कराया है। वर्ष 2019–20 में नदी तटों के साथ–साथ नदियों के उद्गम स्थलों पर भी वृक्षारोपण कराया जायेगा।

202. स्थानीय जनों को वनों से जोड़े बगैर वनों का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन वन योजना में नीतिगत परिवर्तन कर किसानों की जमीन पर लगाये जाने वाले वृक्षों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर 75% कर दी है। वर्ष 2019–20 में इस योजना का कार्यान्वयन और भी बड़े पैमाने पर कराया जाएगा।

203. प्रकृति संरक्षण संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख प्रकृति पर्व **करमा** को राजकीय महोत्सव के रूप में मनाते हुए विलुप्तप्राय करम प्रजाति के वृक्षों का वृहद् वृक्षारोपण भी इस वर्ष से कराया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में यह वृक्षारोपण और भी बड़े Scale पर कराया जायेगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क

204. **अध्यक्ष महोदय,** शासन तंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने, राज्य की आम जनता एवं सरकार के बीच बेहतर समन्वय, सीधा संवाद कायम करने व जनसमस्याओं के त्वरित निदान के उद्देश्य से स्थापित **मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र** के माध्यम से आम जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास जगाने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। इस केन्द्र द्वारा अब तक कुल 2,05,133 मामलों का संतोषजनक तरीके से निष्पादन किया गया है।

205. राज्य में फिल्म उद्योग की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर एक आकर्षक झारखण्ड फिल्म नीति बनायी गई है, जिसके फलस्वरूप झारखण्ड राज्य में एक नये Film Shooting Destination की ख्याति प्राप्त की है। अबतक राज्य में चार बड़े बैनर की फिल्मों तथा चार स्थानीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग सम्पन्न हुई है। इससे स्थानीय लोगों को मौसमी रोजगार मिलने के साथ–साथ पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

206. झारखण्ड को वर्ष 2016 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड में Most Film Friendly State Category में Special Mention Award प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018 में Goa में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फोकस स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस फेस्टिवल में 24 नवम्बर, 2018 को झारखण्ड दिवस का आयोजन किया गया, जहाँ देश–विदेश के लगभग 300 Delegates के समक्ष झारखण्ड की फिल्म नीति, झारखण्ड की कला संस्कृति एवं पर्यटन स्थलों को Showcase किया गया।

207. लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ मीडिया एवं पत्रकारों के कल्याण हेतु सरकार कृतसंकल्प है। राँची प्रेस क्लब भवन का निर्माण कर इसे पत्रकारों को सौंप दिया गया है। **देवघर तथा धनबाद में प्रेस क्लब भवन** का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में पलामू एवं जमशेदपुर में भी प्रेस भवन का निर्माण कराया जायेगा।

208. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य के 24 जिलों में 47 LED युक्त हाईड्रोलिक चलन्त वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। 14 जिलों में चयनित स्थलों पर Fixed LED लगाने की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है, शेष जिलों में इसे लगाने की कार्रवाई वर्ष 2019–20 में पूर्ण कर ली जायेगी।

209. राँची विश्वविद्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से **खांची रेडियो** नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से लोक भाषा में निर्मित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार के सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

210. **अध्यक्ष महोदय,** अचल सम्पति के पंजीकरण में सरलता तथा तीव्रता लाने के उद्देश्य से झारखण्ड में भी One Nation One Portal- NGDRS को अपनाया गया है। दिनांक 24.10.2018 को जमशेदपुर से Pilot Project की शुरूआत की गई है। NGDRS के माध्यम से 7 मिनट में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न हो जायेगी। देश के किसी भी भाग से निबंधन का आवेदन दिया जा सकता है।

211. स्वतंत्रता संग्राम में सराहनीय योगदान देने वाले महात्मा गाँधी के अनुयायी टाना भगतों के कल्याण हेतु भी राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। टाना भगतों की भूमि पर वर्ष 1956 से भुगतेय सेस की राशि को माफ कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भी इन टाना भगतों से सेस के रूप में कोई राशि वसूलनीय नहीं होगी।

212. दिनांक 21.06.2018 को राँची जिला अंतर्गत हेहल अंचल के बनहोरा मौजा में **टाना भगत अतिथि गृह** का शिलान्यास किया गया।

213. कुल 60 दसवीं पास टाना भगत छात्र–छात्रओं का झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट इन पुलिस साईंस कोर्स में नामांकन कराया गया है। इस नामांकन पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

214. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी जिलों में कुल 139 नये राजस्व कचहरी–सह–हल्का कर्मचारी आवास निर्माण हेतु कुल 50.45 लाख रुपये की स्वीकृति एवं आवंटन दिया गया है। वर्ष 2019–20 में इन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

215. राज्य के विभिन्न गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी जमीन पर वर्षों से घर बनाकर रहे व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती हेतु नीति का निर्धारण किया गया।

216. पूर्व में 7 जिलों में कार्यरत मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुआ को **सम्मान राशि** का भुगतान किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में कार्यरत 86 मानकी को 3,000 रुपये, 886 मुण्डा एवं 10,280 ग्राम प्रधान को 2,000 रुपये तथा डाकुवा, परगणैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा के प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को प्रतिमाह 1,000 रुपये की दर से DBT के माध्यम से सम्मान राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधि व्यवस्था एवं संवेदनशील प्रशासन

217. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य गठन के पूर्व से ही चली आ रही वामपंथी उग्रवाद की समस्या निःसंदेह राज्य के विकास में एक बड़ी बाधा रही है। राज्य सरकार की सार्थक समेकित पहल तथा नई आकर्षक प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास तथा पुरस्कार नीति के कारण लगभग 200 से अधिक उच्च पदधारक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 125 से अधिक उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया गया है। इस प्रकार उग्रवाद उन्मूलन में हमें अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है तथा उग्रवादी हिंसा की घटना में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आयी है।

218. झारखण्ड राज्य में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 हो गई है। अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 रह गई है। राज्य सरकार झारखण्ड से उग्रवाद/नक्सलवाद की समस्या के समूल उन्मूलन हेतु कटिबद्ध है। वर्ष 2019–20 में और जिलों को उग्रवाद से शत–प्रतिशत मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

219. **Modernisation of Police Forces** योजनान्तर्गत वामपंथ उग्रवाद से अतिप्रभावित झारखण्ड राज्य के 13 जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचों एवं सेवाओं में व्याप्त खामियों एवं महत्वपूर्ण Gap को खत्म करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 20 करोड़ रुपये की राशि प्रति जिला की दर से कुल 260 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से लगभग 1,000 आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित योजनाओं यथा – पुल–पुलिया, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्ट्रीट लाईट / सोलर लाईट आदि का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

220. **Emergency Response Support System (ERSS)** योजना के तहत पूर्व की आपातकालीन सेवा 'Dial 100' पुलिस, 'Dial 101' अग्निशमन सेवा तथा 'Dial 108' एम्बुलेन्स को एकीकृत कर **'Dial 112'** योजना लागू की जायेगी। इसके लिए नियंत्रण कक्ष बनाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम तिमाही में इसे चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आम जन को आकस्मिक सेवाओं के लिए विभिन्न दूरभाष नम्बरों के स्थान पर मात्र 112 याद रखना होगा तथा उनकी आवश्यकता के आधार पर आकस्मिक सेवा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

221. केन्द्र प्रायोजित पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत **Special Infrastructure Scheme (SIS)** योजना के तहत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20) में झारखण्ड राज्य STF को सुदृढीकरण करने, **Special Intelligence Branches (SIBs)** की स्थापना तथा **64 Fortified Police Stations** का निर्माण कराया जायेगा।

222. राज्य के 131 सत्र न्यायालयों तथा 82 मजिस्ट्रीयल न्यायालयों कुल 213 न्यायालयों में एवं काराओं में 82 Video Conferencing इकाई के अधिष्ठापन के

निमित कुल 93 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2019—20 में यह कार्य पूर्ण कर बंदियों का न्यायालयों में शत–प्रतिशत उपस्थापन एवं ट्रायल Video Conferencing के माध्यम से किया जायेगा।

223. निर्माणाधीन उपकारा, बरही, चक्रधरपुर एवं नगर ऊँटारी के निर्माण कार्य को पूर्ण कर संचालित किया जायेगा। **देवघर** एवं **गिरिडीह** स्थित काराओं को केन्द्रीय कारा के रुप में विकसित कर संचालित किया जायेगा। उक्त निर्माण के फलस्वरूप काराओं में Over crowding कम होगी एवं बंदियों के आवासन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योग में सुदृढ़ीकरण से उनके पुनर्वास के निमित्त लाभप्रद होगी।

224. भ्रष्टाचार मुक्त झारखण्ड के निर्माण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस दिशा में निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau (ACB)), झारखण्ड, राँची में पुनर्गठित किये जाने के फलस्वरूप पिछले चार वर्षों में कुल 424 भ्रष्ट लोक सेवकों की गिरफ्तारी की गई है। Zero tolerance की नीति के तहत भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार का अभियान जारी रहेगा।

225. भारत सरकार द्वारा 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार ने आठ अन्य आपदाओं यथा – अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा), सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, नाव दुर्घटना, नदियों / डोभा / जलप्रपात में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव संबंधी आपदाओं को विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में घोषित किया है, ताकि प्रभावित लोगों को राज्य आपदा मोचन निधि / राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत् अनुदान / मुआवजा का भुगतान किया जा सके।

ई–व्यवस्था

226. **अध्यक्ष महोदय,** वर्तमान में किसी भी बाह्य स्त्रोतों से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार के खाते में भुगतान प्राप्त करने में तीन दिनों से ज्यादा का समय लगता था, जिसे सरल करते हुए झारखण्ड सरकार द्वारा Online IFMS के अन्तर्गत e-GRAS पोर्टल के माध्यम से देश के किसी भी कोने से किसी भी दाता द्वारा किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से RBI के NEFT खाते में सीधे भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

227. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मियों के पेंशन प्रपत्र ऑनलाइन generate करने के लिए **e-Pension** को क्रियान्वित किया गया है। इसके माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मी अपना पेंशन प्रपत्र स्वयं generate कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा Sanctioning Authority के सत्यापन के उपरान्त महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का यह अंतिम बजट राज्य की 3.25 करोड़ जनता के लिए, उनकी आंकाक्षाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करते हुए मुझे आत्म संतुष्टि का एहसास हो रहा है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुँचा सकूँ। सदन के समक्ष इसी भावना के साथ मैं राजस्व व्यय के लिए 65,803 करोड़ रुपये तथा पूँजीगत व्यय के लिए 19,626 करोड़ रुपये, अर्थात् कुल 85,429 करोड़ रुपये का बजट सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जय झारखण्ड। **जय हिन्द।**

Setu Printers, 6202910205 / 06
Security Printing Press